

मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांक: 23.11.2023

“ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत वन सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त करने के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को सुनायी गयी ₹ 500/- के अर्थदण्ड की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विकशन” के तहत अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन , वाराणसी "राम कुमार" के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर "आर.पी.सिंह" के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक मीरजापुर “अभिनन्दन” द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट, हत्या, डकैती, धर्म परिवर्तन, गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है। उक्त अभियान के क्रम में थाना हलिया पर वन सम्पत्ति को क्षतिग्रस्त करने के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी। अभियोजन अधिकारी-अमरेश पाण्डेय , विवेचक-उपनिरीक्षक ए.पी.मौर्या, पैरोकार- आरक्षी सोनू राव व कोर्ट मुहर्नर-मुख्य आरक्षी अरुण कुमार सिंह द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी। जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय एसीजे(जेडी)-5 , मीरजापुर द्वारा थाना हलिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0-129/1998 धारा 5/26 वन अधिनियम में अभियुक्त मोतीलाल पुत्र जिगनधारी निवासी सिकरा थाना हलिया जनपद मीरजापुर को जेल में बितायी गयी अवधि के कारावास एवं ₹ 500/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 02 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।